न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या 6/2019 **RCMS 2019/00016**

वादी

1. गोपालसिंह पुत्र धनसिंह जाति राजपूत निवासी करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. बलवीरसिंह पुत्र धनसिंह
2. किरण कंवर पुत्री धनसिंह
3. पदम कंवर पत्नी धनसिंह जाति राजपूत निवासी करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
4. उप पंजीयक कुचामनसिटी
5. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा इस्तकरार व खातेदारी घोषणा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर से।
श्री भीकमचन्द अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 3 की की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 6/5/2021

वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही खानदान के सदस्य है व स्व. धनसिंह के वारिसान है जिनका सजरा खानदान निम्नवत है :–

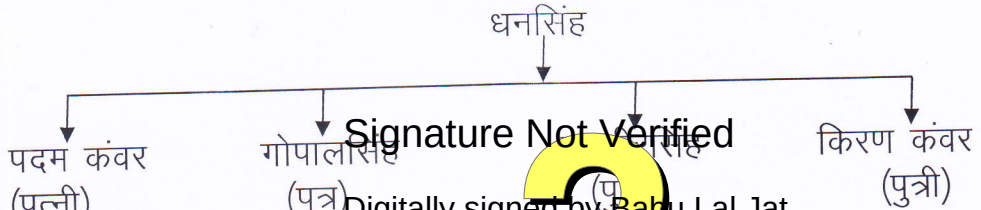

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:40:52 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 138 रकबा 3.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 147 रकबा 5.28 हैक्टर कुल रकबा 8.76 हैक्टर में 617/4360 वॉ हिस्सा स्व. धनसिंह के नाम खातेदारी में स्थित चली आ रही है व खसरा नम्बर 330 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 331 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 332 रकबा 5.11 हैक्टर कुल रकबा 5.22 हैक्टर में 1/2 हिस्सा स्व. धनसिंह

के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही है तथा खसरा नम्बर 128 रकबा 3.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 129 रकबा 5.96 हैक्टर, खसरा नम्बर 130 रकबा 6.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 139 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 140 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 142 रकबा 4.88 हैक्टर, खसरा नम्बर 143 रकबा 3.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 144 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 146 रकबा 14.38 हैक्टर कुल रकबा 39.18 हैक्टर में 3361/19590 हिस्सा स्व. धनसिंह के नाम से सहखातेदारी की दर्ज चली आ रही है, उपरोक्त भूमि के खातेदार धनसिंह पुत्र वचनसिंह कि वादी के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पिताजी व प्रतिवादी सं. 3 के पति थे जो कि पिछले 40 वर्षो से लापता है जिनका आज दिनॉक तक कोई अता–पता नही है न ही कोई खबर है इस प्रकार उक्त भूमि पर जरिये उत्तराधिकारी वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का स्वतः जन्म से ही अधिकार पाने के हकदार है, उपरोक्त भूमि के सहखातेदार धनसिंह पुत्र वचनसिंह गुमशुदा हो जाने पर उनके वारिसान जरिये उत्तराधिकारी खातेदारी पाने के मुश्तहक है इसलिए खातेदारी अधिकारों का वाद लाना आवश्यक हुआ है, बिनाय दावा पटवारी हल्का को उनके हक हिस्से कीक भूमि ककी तस्दीक करने बाबत कहा तो उन्होने इंकार कर दिया व बताया कि ऐसा न्यायालय आदेश से ही सम्भव है, वादी की इस्तदुआ है कि उपरोक्त भूमि में धनसिंह दत्तक पुत्र वचनसिंह के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर–बराबर काबिज खातेदार काश्तकार अधिकारो की घोषणा की डिक्री सादिर फरमाई जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत होकर शामिल मिसल उपलब्ध है, प्रतिवादी संख्या 4 से 5 बावजूद इतला अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी द्वारा जमाबन्दी नकल सम्वत 2076–2079 ग्राम करकेड़ी के खाता संख्या 61, खाता संख्या 95, खाता संख्या 190, खाता संख्या 191,की नकल प्रस्तुत की। मुख्य परीक्षण में वादी गोपालसिंह का शपथ–पत्र गवाह नारायणसिंह, दिलिपिसिंह का शपथ–पत्र प्रस्तुत हुआ। इकबाली जवाब में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वाद को स्वीकार किया।

प्रकरण में उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई, जिन्होने धनसिंह की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज किये जाने का कथन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया, नकल खतौनी में धनसिंह दत्तक पुत्र बचनसिंह राजपूत सा. देह खातेदार अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज है, परन्तु वादी एवं प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई विधिक दस्तावेज इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया जिस से प्रतीत होता हो कि धनसिंह दत्तक पुत्र बचनसिंह की मृत्यु हो चुकी है। वादी का कथन है कि उनके पिता करीबन 40 वर्षो से लापता है यदि धनसिंह 40 वर्षो से लापता है तो उनकी गुमशुदगी की प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में क्यों दर्ज नही कराई गई तथा नियमानुसार सक्षम न्यायालय से उनके उत्तराधिकार/वारिस होने का प्रमाण–पत्र क्यों प्राप्त नही किया गया। इस प्रश्नो का उत्तर वादी द्वारा किसी भी तरह से कथन न तो शपथ–पत्र में किया है तथा न ही अपने वाद में कथन किया है। वादी को सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार/वारिस प्रमाण–पत्र नियमानुसार प्राप्त कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:40:52 IST
Reason: SelfAttested

जरिये नामान्तरकरण से ही खातेदारी प्राप्त करने के अधिकार प्रोदभूत हो सकते है,लिहाजा वाद वादी साबित नही होने से काबिल खारिज योग्य है।

आदेश

अतः वाद वादी साबित नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 6/4/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:40:52 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तेदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

राजस्व वाद संख्या 6/2019 **RCMS 2019/00016**

वादी

1. गोपालसिंह पुत्र धनसिंह जाति राजपूत निवासी करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. बलवीरसिंह पुत्र धनसिंह
2. किरण कंवर पुत्री धनसिंह
3. पदम कंवर पत्नी धनसिंह जाति राजपूत निवासी करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
4. उप पंजीयक कुचामनसिटी
5. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा इस्तकरार व खातेदारी घोषणा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री भीकमचन्द अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **वाद वादी साबित नही हाने से खारिज किया जाता है।**

निज .... मुबलिग .... बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक ....6..माह ......4........ सन्.2021.... को जारी की गई।

दस्तखत..

ओहदा.................................(मुहर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:40:52 IST
Reason: SelfAttested